महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम -695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/36389/32 04.07.2024

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Compliance of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 All India Judges Association vs Union of India and Others regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay commission (SNJPC) relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners – reg.

Ref: **1.** SSA No. Pension Miscellaneous/DRY No. 6622 dated 06.05.2024 received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj.
2. O.M. No.-140/II-4-2024-45(1)/2020 T.C.I Lucknow dated 28.02.2024 of Government of Uttar Pradesh, Appointment Section-4.

I am to enclose herewith the copy of Special Seal Authorization received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh regarding the compliance of order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners of Uttar Pradesh Government. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, **under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl.: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

Copy to: -

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. Senior Accounts Officer
   The Office of the Principal Accountant General (A&E)-II
   20 Sarojini Naidu Marg,
   Uttar Pradesh, Prayagraj **-For information**

sd/-
Senior Accounts Officer

ई-मेल/Email : agaekerala@cag.gov.in फैक्स/Fax: 0471-2330242 दूरभाष/Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट/Website: http://www.agker.cag.gov.in

P-19 36389
15-05-2024
IU DRSSA

P19/IU DRSSA/32
17/5/24 Special Seal Authority

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 6622

दिनांक :- 06/05/2024

सेवा में,

Sr. AO/Pension,

PAG(A&E) Kerala,

M. G. Road, Thiruvananthapuram, - 695039

विषय :- द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबन्धित संस्तुतियों के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/01/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या :- 140/दो-4-2024-45(1)/2020 टी0सी0 नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 28/02/2024

महोदय,

उतर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

संख्या-140/दो-4-2024-45(1)/2020 टी.सी.।

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2024

विषयः-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सुसंगत संदर्भः-

विषयगत प्रकरण से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जारी किये गये पूर्व शासनादेशों का विवरण-

(1) शासनादेश सं0- 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 07.07.2006
(2) शासनादेश सं0- 5207/दो-4-06-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 27.07.2006
(3) शासनादेश सं0- 35/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 08.01.2008
(4) शासनादेश सं0- 930/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 11.04.2008
(5) शासनादेश सं0- 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.05.2009
(6) शासनादेश सं0- 4458/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी.1, दिनांक 28.01.2010
(7) शासनादेश सं0- 793/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 30.04.2010
(8) शासनादेश सं0- 1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 31.05.2010
(9) शासनादेश सं0- 2123/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
(10) शासनादेश सं0- 2123(2)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
(11) शासनादेश सं0- 2123(4)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
(12) शासनादेश सं0- 2977/दो-4-10-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 04.11.2010
(13) शासनादेश सं0- 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.04.2018
(14) शासनादेश सं0- 914/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 10.08.2018
(15) शासनादेश सं0- 361/दो-4-2021-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 31.08.2021
(16) शासनादेश सं0- 50/दो-4-2022-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 16.02.2022

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायाधीश श्री पी0 बी0 रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु भत्ते से संबंधित की गयी संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में श्री राज्यपाल द्वारा निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)

(क) भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गृह निर्माण अग्रिम के भुगतान के लिए दिनांक 9 नवंबर 2017 को निर्गत ओ0एम0 सं0-1.17011/11(4)/2016-एच-III के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों को भी गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।

(ख) मा0 उच्च न्यायालय की अनुमति से निजी व्यक्ति से भी आवास के क्रय हेतु गृह निर्माण अग्रिम दिया जाना अनुमन्य होगा।

2. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए)

(क) न्यायिक अधिकारियों को कक्षा 12 तक, दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) के रूप में 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और छात्रावास अनुदान (सब्सिडी) के रूप में 6,750 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा देय होगा।

(ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उपर्युक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति दोगुने दर पर की जाएगी।

(ग) जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा, तो देय भत्ते और अनुदान (सब्सिडी) की राशि 25% बढ़ जाएगी।

(घ) शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से उक्त भत्ते एवं अनुदान (सब्सिडी) का भुगतान किया जायेगा।

(ङ) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें से मात्र एक ही व्यक्ति बाल शिक्षा भत्ता (सी0ई0ए0) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

3. नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए)

(क) नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) इस शासनादेश के लागू होने की तिथि से स्वत: समाप्त हो जाएगा।

(ख) यद्यपि नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) समाप्त होने के उपरान्त इस भत्ते के अंतर्गत पूर्व में की गयी भुगतान की राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

4. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा निर्धारित मानक अब समाप्त समझे जायेंगे तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता हेतु दिनों की संख्या, न्यायिक कार्य की मात्रा और प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में, मानक का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

5. वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी)

(क) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के लिए परिवहन भत्ता छोड़े जाने की शर्त पर पूल-कार की सुविधा अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

(ख) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपने नाम या उनके पति/पत्नी के नाम पर चार पहिया वाहन है, उन्हें उक्त वाहन के रख-रखाव और वाहन चालक के वेतन के लिए दिनांक 01.01.2016 से प्रति माह रुपये 10,000/- की दर से और दिनांक 01.01.2021 से बढ़ाकर रुपये 13,500/- परिवहन भत्ता दिया जाना अनुमन्य होगा।

(ग) परिवहन भत्ते के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में 100 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा अन्य क्षेत्रों में 75 लीटर पेट्रोल/डीजल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपरोक्त पेट्रोल/डीजल के कीमत की प्रतिपूर्ति स्वप्रमाणपत्र के आधार पर की जायेगी।

(घ) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना चार पहिया वाहन नहीं है और वे पूल कार सुविधा का लाभ भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसे न्यायिक अधिकारी भी उपरोक्तानुसार परिवहन भत्ता पाने के हकदार होंगे, लेकिन वे ईंधन भत्ता के पात्र नहीं होंगे।

(ङ) उपरोक्त परिवहन भत्ता एवं ईंधन भत्ता उन न्यायिक अधिकारियों को उक्त अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस अवधि में उन्होंने शासकीय वाहन का उपयोग किया है या उपयोग किया जा रहा है।

(च) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र थे, अर्थात् प्रधान जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और लघु वाद न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। इन पदाधिकारियों के अलावा, तीन और न्यायिक पदाधिकारी अर्थात् न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक, पारिवारिक न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र होंगे। राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर उक्त अधिकारियों की सूची में कटौती करने का अधिकार मा0 उच्च न्यायालय को होगा।

(छ) शासकीय कार्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में आधिकारिक कारों के लिए पेट्रोल/डीजल की मात्रा, संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने और लॉग बुक के आधार पर, वास्तविक खपत की सीमा तक अनुमन्य होगा। निजी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक कारों का उपयोग प्रति माह 300 किलोमीटर की सीमा तक किया जाना अनुमन्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ज) आधिकारिक वाहन के निजी उद्देश्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में गणना अर्द्धवार्षिक आधार पर की जायेगी।

(झ) न्यायिक अधिकारियों को कार खरीदने के लिए मामूली ब्याज पर दस लाख रुपये तक की आसान ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। ब्याज की दर तथा ऋण अदायगी की शर्तें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के वित्त विभाग से विचार-विमर्श करके निर्धारित की जायेंगी। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. महंगाई भत्ता

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.07.2023 द्वारा महंगाई भत्ता लागू किया जा चुका है, जिसमें उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यरत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा पारिवारिक पेंशन-भोगियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय/अनुमन्य होगा।

7. अर्जित अवकाश नकदीकरण

(क) सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा होगी।

(ख) न्यायिक अधिकारी अवकाश नकदीकरण का हकदार होगा:-

(ए) यात्रा अवकाश (एल0टी0सी0) के लिए 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा। सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 60 दिन (एक बार में 10 दिन तथा छह अवसरों तक) का लाभ देय होगा।

(बी) दो वर्ष के ब्लॉक में 30 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा।

(सी) न्यायिक अधिकारियों को प्रदत्त उपर्युक्त (ए) तथा (बी) सुविधायें सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण दिये जाने की सुविधा के अतिरिक्त होंगे।

(ग) ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों जिन्हें उर्पयुक्त (ए) तथा (बी) में उल्लिखित अवकाश नक़दीकरण के दिनों को काटने के कारण सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य 300 दिनों से कम दिनों का नकदीकरण दिया गया है, को अन्तर का भुगतान इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 महीने की अवधि के भीतर किया जायेगा।

8. बिजली और जल का शुल्क

(क) न्यायिक अधिकारियों को बिजली और जल शुल्क के भुगतान का 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य होगी:

पदनाम	बिजली इकाइयाँ	जल की मात्रा
जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर)	8000 यूनिट प्रति वर्ष	420 किलोलीटर प्रति वर्ष
सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन)	6000 यूनिट प्रति वर्ष	336 किलोलीटर प्रति वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

(घ) बिजली और जल के बिलों की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर की जायेगी।

(ग) यह भत्ता दिनांक 01.01.2020 से बढी हुई दरों पर अनुमन्य होगा।

9. उच्च योग्यता भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी।

(ख) कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट के लिए एक बार अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरान्त यदि भविष्य में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की जाती है तो दुबारा कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उन न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने भर्ती से पहले या भर्ती के बाद सेवा में रहते हुए किसी भी समय पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डॉक्टरेट उपाधि हासिल की हो।

(घ) यदि न्यायिक अधिकारी ने भर्ती के पहले ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली है तो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तथा यदि सेवा में शामिल होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि अर्जित की है, तो स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होगी

(ङ) न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उपलब्ध कराई जायेंगी यदि उनके द्वारा उच्च योग्यता नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल की गयी हो।

(च) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एसीपी स्तर (एसीपी I या II) पर भी देय होगा। सिविल जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर पर पदोन्नति के समय भी उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।

(छ) इसी प्रकार जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) से जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) में उन्नयन के समय भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।

(ज) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता उसी पर देय होगा।

10. पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थाना भत्ता

(क) पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 5000/- रूपये प्रतिमाह की दर से पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता अनुमन्य होगा।

(ख) उक्त भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

(मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान के रूप में वर्गीकरण योग्य स्थानों का निर्धारण किये जाने पर)

Scanned with OKEN Scanner

11. घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता

(क) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अथवा रुपये 10000 प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन): अकुशल कामगार के लिए निर्धारित प्रतिमाह न्यूनतम वेतन का 60% अथवा रु. 7,500/- प्रति माह, दोनों में जो अधिक हो।

(ख) उपरोक्त दरों पर घरेलू सेवक/घरेलू सहायता भत्ता सेवारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01-01-2020 से देय होगा।

(ग) घरेलू सेवक भत्ते के भुगतान के परिणामस्वरूप रात के दौरान कार्यालय के चपरासी/अटेंडर या अन्य समूह 'घ' के कर्मचारी को उनके आवास पर तैनात करने की व्यवस्था, यदि कोई हो तो बंद नहीं होगी।

(घ) कार्यालय के चपरासी/परिचारक या ऐसे अन्य समूह 'घ' कर्मचारी जो आमतौर पर अशांत या सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी के आवास पर रात्रि ड्यूटी के लिए तैनात किए जायेंगे। समूह 'घ' कर्मचारी के अभाव में ऐसे क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाएगी।

(च) ऐसे कर्मियों को प्रधान जिला न्यायाधीश या प्रशासनिक जिम्मेदारियां रखने वाले समकक्ष रैंक के अधिकारी के आवास पर भी तैनात किया जायेगा।

(छ) ऐसे आवासीय कर्तव्यों के लिए चपरासी/परिचारकों की तैनाती समूह 'घ' /चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की उपलब्धता के अधीन होगी जिससे कि न्यायालय से संबंधित कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

(ज) पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को घरेलू सहायता भत्ता दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:

पेंशनभोगी : रु0 9,000/- प्रति माह

पारिवारिक पेंशनभोगी : रु0 7,500/- प्रतिमाह

(झ) पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए दिनांक 01.01.2016 से पांच वर्ष पूरे होने के दिनांक 01.01.2021 से यह भत्ता 30% बढ़ जाएगा।

(ट) उपर्युक्त भत्ता न्यायिक अधिकारी/ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

12. मकान किराया भत्ता और आवासीय क्वार्टर

(ए) आवासीय क्वार्टर

न्यायिक अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध कराया जायेगा। यदि न्यायिक अधिकारी को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो न्यायिक अधिकारी निजी आवास स्वयं ले सकते हैं और उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराया देना होगा:-

Scanned with OKEN Scanner

(क) यदि निजी आवास का किराया प्रस्तर-12(बी) में उल्लिखित अनुमन्य मकान किराया भत्ते के भीतर है, तो किराए के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा भुगतान किए जा रहे वास्तविक किराए को प्रमाणित करना होगा।

(ख) यदि निजी आवास का किराया अनुमन्य मकान किराया भत्ते से अधिक है, तो किराए का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सहायता से प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

(ग) यदि अनुमन्य मकान किराया भत्ता और मूल्यांकन किए गए किराए के बीच का अंतर 15% से अधिक है तो संबंधित अधिकारी द्वारा अन्तर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान न किये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रधान जिला न्यायाधीश उक्त राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान करेंगे। यदि ऐसी भिन्नता 15 प्रतिशत से कम है तो उच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) आवासीय व्यवस्था के लिए न्यूनतम प्लिंथ क्षेत्रफल जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) के लिए 2500 वर्ग फुट और सिविल न्यायाधीश (जूनियर और सीनियर डिवीजन) के लिए 2000 वर्ग फुट होगा। यद्यपि, मा0 उच्च न्यायालय प्रशासन के पास उच्च प्लिंथ क्षेत्रफल के साथ डिजाइन को मंजूरी देने का विवेकाधिकार होगा।

(बी) <u>मकान किराया भत्ता</u>

(क) जिन न्यायिक अधिकारियों को निवास के लिए आधिकारिक क्वार्टर आवंटित किया गया है, वे मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

(ख) उच्च न्यायालय की अनुमति से माता-पिता या पति/पत्नी के घर सहित अपने स्वयं के घरों में रहने वाले न्यायिक अधिकारी भी दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे। पहले से ही किराए के आवास में रहने वाले न्यायिक अधिकारी दिनांक 01.01.2020 से अनुमन्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे, जो उक्त सीमा के भीतर भुगतान किए गए वास्तविक किराए के अधीन होगा।

(ग) जिला न्यायाधीश या समकक्ष का कार्यालय सीधे मकान मालिक को किराया भुगतान करेगा तथा ऐसे मामलों में अधिकारी मकान किराया भत्ता आहरित करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की मकान किराया भत्ता दरें केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद जारी दिनांक 07.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगी:-

शहरों का वर्गीकरण	मूल वेतन के % के रूप में एचआरए/प्रति माह की दरें
X	24%
Y	16%
Z	8%

हालांकि न्यूनतम निर्धारित दरें क्रमशः 5400/-, 3600/- और 1800/- हैं।

(ङ) महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) की दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाएगा:-

Scanned with OKEN Scanner

शहरों का वर्गीकरण	मूल वेतन के % के रूप में एचआरए/प्रति माह की दरें	महंगाई भत्ते की वृद्धि पार करने पर
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	9%	25%
	10%	50%

जेड श्रेणी वर्तमान में वर्गीकृत नहीं है। विभिन्न श्रेणियों में शहरों को अपग्रेड करने और नये शहरों को जोड़ने के लिए मा0 उच्च न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(सी) <u>फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता</u>

(क) न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक पांच साल में रु0 1.25 लाख का फर्नीचर अनुदान सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा खरीद का प्रमाण/रसीद प्रस्तुत किये जाने के शर्त के साथ प्रदान किया जाएगा। उक्त अनुदान का लाभ उठाकर घरेलू विद्युत उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष रहने वाले न्यायिक अधिकारी भी इस भत्ते के पात्र होंगे। अधिकारी द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर को मूल्यह्रास दर पर खरीदने का विकल्प नए अनुदान या सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध होगा।

(ख) फर्नीचर अनुदान के अलावा, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रत्येक पांच साल में एक बार एक एयर कंडीशनर प्रदान किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा।

(घ) एयर कंडीशनर के संबंध में मानक, क्षमता आदि का निर्धारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(डी) <u>आवासीय क्वार्टर - रखरखाव</u>

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों के उचित रखरखाव एवं इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, सफाई कर्मचारियों और राजमिस्त्री की निर्बाध सेवाएं प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रत्येक जिला न्यायाधीश को दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर दो माह के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकार के न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

13. <u>अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)/गृह यात्रा रियायत (एचटीसी)</u>

(क) अवकाश यात्रा रियायत (गृह यात्रा रियायत के लिये नहीं) का लाभ उठाते समय 10 दिनों की अर्जित अवकाश का नकदीकरण (अधिकतम 60 दिनों के अधीन) प्रदान किया जायेगा। यह सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन और दो साल के ब्लॉक में 30 दिन के नकदीकरण के अतिरिक्त होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) अवकाश यात्रा रियायत की आवृत्ति के संबंध में, न्यायिक अधिकारियों को 3 साल के ब्लॉक में एक अवकाश यात्रा रियायत और एक गृह यात्रा रियायत का लाभ दिया जाना अनुमत होगा।

(ग) नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को गृह यात्रा रियायत का लाभ 3 साल के पहले ब्लॉक में 2 बार प्रदान किया जायेगा, परन्तु 3 साल का ब्लॉक परिवीक्षा के लिए निर्धारित अवधि के पूरा होने पर शुरू होगा (परिवीक्षा पूर्ण होने की घोषणा होने की आवश्यकता नहीं होगी)।

(घ) सभी न्यायिक अधिकारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केन्द्र/राज्य सरकार से अधिकृत एजेंटों यथा अशोक ट्रेवल्स, बामर एण्ड लॉरी और आई0आर0सी0टी0सी0 से खरीदे गए हों। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंटों को जोड़ा या हटाया जा सकता है।

(ङ) अन्य विवरण जैसे यात्रा की श्रेणी, अग्रिम आदि राज्य सरकार के संबंधित नियमों/शासनादेशों से शासित होंगे।

(च) न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में कहीं भी अवकाश यात्रा रियायत को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

(छ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत / गृह यात्रा रियायत सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(ज) न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत/गृह यात्रा रियायत प्रयोजन के लिए केवल अर्जित अवकाश का लाभ उठाने की अपरिहार्यता नहीं होगी और उन्हें दो दिनों की सीमा तक प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

14 चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधाएं

अनिवार्य चिकित्सा भत्ता

(क) सेवारत न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता रु0 3,000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।

(ख) पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 से नियत चिकित्सा भत्ता रु0 4,000/- की दर से देय होगा।

(ग) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों के पति/पत्नी या अन्य आश्रित भी न्यायपालिका के पेंशनभोगियों के समान चिकित्सा सुविधाओं/प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(घ) सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे तौर पर, पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारी सरकार द्वारा अधिसूचित/सूचीबद्ध निजी अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैब्स में परामर्श/उपचार के हकदार होंगे और सामान्य प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।

(ङ) न्यायिक अधिकारी या पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किये जाने अथवा पूर्व से भर्ती हों तो उसके इलाज के लिए जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय के महानिबंधक संबंधित अस्पतालों को साख पत्र भेजने के लिए सक्षम होंगे।

(च) आंतरिक रोगी उपचार या कम या ज्यादा निरंतर उपचार की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के लिए किए गए व्यय की धनराशि को जिला न्यायाधीशों या उस रैंक के अन्य अधिकृत अधिकारी या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(छ) आपातकाल के मामले में, न्यायिक अधिकारी, सेवारत और सेवानिवृत्त और साथ ही पारिवारिक पेंशनभोगी किसी भी नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बिल जमा करके प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिये साख पत्र जारी किया जा सकता है।

(ज) मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा दिए गए अनुमान को प्रस्तुत करने पर, 80% अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा अधिकृत समकक्ष रैंक के जिला न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक जांच के अधीन होगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति नामित सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा या अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने पर की जाएगी। यदि किसी विशेष वस्तु के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा संबंधित अस्पतालों में आम तौर पर ली जाने वाली दरों का परीक्षण किया जायेगा तथा भुगतान की मंजूरी देने से पहले उसकी जांच की जायेगी, अस्वीकृति की सीमा न्यूनतम होगी और अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश द्वारा नामित सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच के लिए भेजे गए बिलों का निस्तारण उनके द्वारा प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर कर दिया जायेगा।

(झ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और पारिवारिक पेंशन-भोगी जो दूसरे राज्य में निवासित हो गए हैं, उन्हें उस राज्य से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम का दावा करने की सुविधा होगी, जहां से वे पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ट) किसी सेवारत अधिकारी के दूसरे राज्य में (आधिकारिक या निजी उद्देश्य) दौरे या सेवानिवृत्त अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद उस राज्य में निवासित होने पर आपातकालीन या अन्यथा की स्थिति में किसी भी सरकारी/सरकारी अधिसूचित/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैब में कमरे के शुल्क/परीक्षण सहित उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी यद्यपि उक्त अस्पताल/लैब उस राज्य में मान्यता प्राप्त न हो जहां पर ऐसे अधिकारी सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ठ) मा0 उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री यह जांच करेगी कि क्या अधिसूचित/पैनल में शामिल अस्पताल पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित न्यायिक अधिकारियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं और अतिरिक्त अस्पतालों/पैथोलॉजिकल लैबों को अधिसूचित करने के लिए उस सीमा तक सरकार को प्रस्ताव भेजेगी जहां तक यह आवश्यक समझा जाएगा।

(ड) धन की कमी के कारण बिलों को व्यवहृरित करने और मंजूरी देने में देरी से बचने के लिए रजिस्ट्री मा0 उच्च न्यायालय अतिरिक्त धनराशि जारी करने का प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार के न्याय विभाग को प्रेषित करेंगे और वित्त विभाग इस मद में न्याय विभाग/उच्च न्यायालय को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल कार्यवाही करेंगे।

(ढ) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अन्य चिकित्सीय राहतों के सम्बन्ध में "सी0एस0सी0डी0जे0" समिति की सिफारिशों के आधार पर अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

15. समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ते

(क) समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति जिला न्यायाधीशों, समस्त स्तर (दो समाचार पत्र और दो पत्रिकाएं) के लिए 1000/- रुपये प्रतिमाह और सिविल न्यायाधीशों, जूनियर और सीनियर डिवीजन (दो समाचार पत्र और एक पत्रिका) के लिए 700/- रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) प्रतिपूर्ति स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक अर्धवार्षिक आधार पर होगी।

(ग) उपरोक्त दरों पर भत्ता दिनांक 01.01.2020 से देय होगा।

17. वस्त्र भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से तीन साल में एक बार 12,000 रुपये वस्त्र भत्ता देय होगा।

18. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन

प्रशासनिक कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष वेतन देय होगा:-

(क) जिला जज रैंक के सभी न्यायिक अधिकारीगण यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, एम0ए0सी0टी0 के पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी तथा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में नियुक्त स्पेशल ऑफिसर(विजिलेंस), महानिबंधक, वरिष्ठ निबंधक, जिला जज रैंक के अन्य न्यायिक अधिकारीगण सहित राज्य के अन्दर एवं बाहर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त जिला जज रैंक के न्यायिक अधिकारीगण: रू0 7000/- प्रतिमाह।

(ख) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सहित अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीशगण जिन्हें प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है तथा उनके द्वारा सामान्य रूप से न्यायालय के लिए निर्धारित कार्यवधि के बाद भी समय बिताना पड़ता है:- रु. 3500/- प्रति माह

(ग) स्वतंत्र प्रशासनिक जिम्मेदारियों वाले विशेष न्यायालयों और अधिकरणों के पीठासीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश:- रु. 3500/- प्रति माह

(घ) सीजेएम और प्रधान वरिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशगण और अन्य न्यायिक अधिकारीगण, जिनके पास, दाखिला करने की शक्तियों वाली स्वतंत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं:- रु. 2000/- प्रति माह

(ङ) उपरोक्त विशेष वेतन दिनांक 01.01.2019 से देय होंगे।

19. सत्कार भत्ता

(क) न्यायिक अधिकारियों को सत्कार भत्ता निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:-

जिला न्यायाधीश(समस्त स्तर)- रु. 7,800/- प्रति माह

सिविल जज(सीनियरडिवीजन)- रु. 5,800/-प्रति माह

सिविल जज(जूनियर डिवीजन)- रु. 3,800/-प्रति माह

(ख) उक्त अतिथि सत्कार भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) न्यायिक अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनकी प्रतिष्ठा या उनके द्वारा संभाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के आधार पर रु. 1,000/- (एक हजार) अधिक मिलेंगे:-

(1) जिलों/शहरों में प्रशासन के प्रभारी जिला न्यायाधीश।

(2) चयन ग्रेड और सुपर टाइम-स्केल में जिला न्यायाधीश।

(3) न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।

(घ) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को आतिथ्य सत्कार भत्ता देय नहीं होगा।

<u>20. टेलीफोन सुविधा</u>

न्यायिक अधिकारियों को निम्नलिखित टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:-

<u>आवासीय टेलीफोन (लैंडलाइन):</u>

(क) लैंडलाइन टेलीफोन और ब्रोडबैंड सुविधा (समान या विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा) न्यायिक अधिकारियों के आवास पर अनुमत उपयोगकर्ता के साथ निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) : रु.1500/- प्रति माह

सिविल जज(जूनियर और सीनियर डिवीजन) : रु. 1000/- प्रति माह

इसमें किराया, कॉल (स्थानीय और एस0टी0डी0 दोनों) और इंटरनेट का उपयोग शामिल है।

(ख) उन स्थानों पर जहां ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नवत् उपयोग अनुमन्य होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) : रु. 1000/- प्रति माह

सिविल जज(जूनियर और सीनियर डिवीजन) : रु. 750/- प्रति माह

इसमें किराया और कॉल (स्थानीय और एस0टी0डी0 दोनों) शामिल हैं।

<u>मोबाइल फोन</u>

(क) इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन (हैंडसेट) का प्रावधान इस प्रकार होगा:-

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) : रु. 30,000/-

सिविल जज (जूनियर और सीनियर डिवीजन) : रु. 20,000/-

और उपयोग के लिए निम्नवत् धनराशि इंटरनेट डेटा पैकेज सहित अनुमन्य होगा:

जिला न्यायाधीश (समस्त स्तर) : रु. 2000/- प्रति माह

सिविल जज(जूनियर और सीनियर डिवीजन) : रु. 1500/- प्रति माह

(ख) न्यायिक अधिकारियों के अनुरोध पर, मोबाइल फोन हैंडसेट को तीन साल में एक बार बदला जाएगा।

(ग) न्यायिक अधिकारियों को पुराने मोबाइल फोन हैंडसेट को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कीमत पर रखने का विकल्प दिया जाएगा।

<u>कार्यालय टेलीफोन:</u>

कार्यालय में टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

<u>21. स्थानांतरण अनुदान</u>

(क) न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान एक महीने के मूल वेतन के बराबर होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर या उसी शहर के भीतर होता है (यदि इसमें निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल है), तो स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन का 1/3 होगा।

(ग) व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी ओ0एम0 सं0-19030/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 लागू होगा।

(घ) सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में अनुमन्य धनराशि, 50/- रुपये प्रति कि0मी0 इसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए श्रम शुल्क सम्मिलित है, या वास्तविक खर्च राशि, दोनों में जो भी कम हो, होगी। महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर उक्त राशि 25% बढ़ जाएगी।

(ङ) उक्त सुविधा/व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से लागू होंगी।

(च) जिन अधिकारियों के स्थानांतरण दिनांक 01.01.2016 के बाद हुए है और उनके स्थानांतरण अनुदान के दावों को संशोधन के पूर्व वेतनमान के अनुसार भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन के आधार पर अंतर की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

2- शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की अवधि के लिए उपर्युक्त भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति एवं निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अंतर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के संबंध में किये गये भुगतान का यथावश्यक समायोजन किया जायेगा। न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों की बकाया राशि की गणना एवं एक मुश्त नकद भुगतान दिनांक 29.02.2024 से पूर्व करने हेतु सक्षम/अधिकृत स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त भत्ते और सुविधाएं राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होंगे तथा उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश, जो भी हों, इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-72/दस-2024, दिनांक 28 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

28/2/24

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 110 (1)/दो-4-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(5) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

(6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) समस्त जिला न्यायाधीश (द्वारा महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)

(8) निदेशक, कोषागार / पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचहरी रोड, प्रयागराज।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

(12) इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची-1,2) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

(13) श्री संजय कुमार त्यागी, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Registered

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II

20, SAROJINI NAIDU MARG, UP, PRAYAGRAJ

Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

Letter No. Pension Misc./DRY No.6622

Dated 06.05.2024

To

Sr AO/Pension

PAG (A&E), Kerala,

MG Road, Thiruvananthapuram – 695039

Sub:- Compliance of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 *All India Judges Association vs Union of India and Others* regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners– reg.

Government Order: 140/II-4-2024-45(1)/2020 T.C. Appointment Section-4 Lucknow, dated 28.02.2024

Sir,

A copy of the above cited order issued by the Government of Uttar Pradesh, Appointment Section-4 Department, Lucknow is being sent enclosed herewith.

Hence, you are requested that the above cited order may please be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and they may be directed to take action as per the rules and a copy of the same forwarded to this office also.

Encl: As above

Yours faithfully,

Sd/-

Sr Accounts officer/Pension Misc.

No. 140/II-4-2024-45(1)/2020 T.C.I

From

Dr Devesh Chaturvedi

Addl Chief Secretary,

Government of Uttar Pradesh

To

The Registrar General

Hon'ble High Court

Allahabad

Appointment Section-4 Lucknow, dated 28 February 2024

Sub:- Compliance of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 All India Judges Association vs Union of India and Others regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners– reg.

Relevant Reference:-

Details of previous Government Orders issued in continuation to the recommendations of the First National Judicial Pay Commission (FNJPC) regarding the matter under the subject cited above.

(1) Government Order No.6058/II-4-05-45(12)/91 T.C., dated 07.07.2006
(2) Government Order No.5207/II-4-06-45(12)/91 T.C., dated 27.07.2006
(3) Government Order No.35/II-4-08-45(12)/91 T.C., dated 08.01.2008
(4) Government Order No.930/II-4-08-45(12)/91 T.C., dated 11.04.2008
(5) Government Order No.1363/II-4-2009-45(12)/91 T.C., dated 13.05.2009
(6) Government Order No.4458/II-4-2009-45(12)/91 T.C.1, dated 28.01.2010
(7) Government Order No.793/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-6, dated 30.04.2010
(8) Government Order No.1420/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-6, dated 31.05.2010
(9) Government Order No.2123/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-6, dated 16.10.2010
(10) Government Order No.2123(2)/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-6, dated 16.10.2010
(11) Government Order No.2123(4)/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-6, dated 16.10.2010
(12) Government Order No.2977/II-4-10-45(12)/91 T.C.-6, dated 04.11.2010
(13) Government Order No. 8/2018/279/II-4-2018-45(12)/91 T.C., dated 13.04.2018
(14) Government Order No.914/II-4-2018-45(12)/91 T.C., dated 10.08.2018
(15) Government Order No.361/II-4-2021-45(12)/91 T.C., dated 31.08.2021
(16) Government Order No.50/II-4-2022-45(12)/91 T.C., dated 16.02.2022

Sir,

On the above cited subject, I am directed to say that the Honourable Governor is pleased to accord sanction to allow the following allowances and facilities in compliance with Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 *All India Judges Association vs Union of India and Others* regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) constituted under the chairmanship of Hon'ble Justice Shri P V Reddy, relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners.

1. **HOUSE BUILDING ADVANCE (HBA)**
   (a) In terms of OM No.1.17011/11(4)/2016-H-III dated 9th November 2017 issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India for the payment of House Building Advance, grant of House Building Advance shall be permissible to Judicial Officers also at par with the Central officials.
   (b) Grant of House Building Advance shall be permissible for the purchase of a house from private individuals also with the permission of Hon'ble High Court.

2. **CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE (CEA)**
   (a) ₹2,250/- per month per child as Children Education Allowance (CEA) and ₹6,750/- per month per child as Hostel Subsidy for two children up to Class 12 shall be payable to the Judicial Officers.
   (b) For children with special needs, reimbursement of the above allowance would be at double the rate stated above.
   (c) When the Dearness Allowance increases by 50%, the above amount of allowance and subsidy shall increase by 25%
   (d) Payment of above allowance and subsidy will be made with effect from the Academic Year 2019-2020.
   (e) In case both husband and wife are Government servants, only one of them can avail the reimbursement under Children Education Allowance.

3. **CITY COMPENSATORY ALLOWANCE (CCA)**
   (a) City Compensatory Allowance (CCA) shall be automatically discontinued from the date of effect of this Government Order.
   (b) However, after the discontinuance of City Compensatory Allowance (CCA), no recovery shall be made on the amount already paid on account of the allowance.

4. **CONCURRENT CHARGES ALLOWANCE**
   (a) When a Judicial Officer is placed in charge of another Judicial Officer beyond a period of ten working days, Concurrent Charge Allowance equivalent to 10% of the minimum of the scale of pay of the post for which additional charge is held shall be allowed.

(b) The criterion laid down by the First National Judicial Pay Commission (FNJPC) shall be deemed dispensed with henceforth and the criterion regarding the number of days for Concurrent Charge Allowance, quantum of judicial work and administrative work shall be determined by the Hon'ble High Court.

(c) The aforesaid Concurrent Charge Allowance shall be allowed w.e.f. 01.01.2016.

5. CONVEYANCE/TRANSPORT ALLOWANCE (TP)

(a) The pool car facility shall be provided to various Judicial Officers, as recommended by the FNJPC, for a period of maximum two years on the condition of forgoing transport allowance.

(b) Transport allowance at the rate of Rs.10,000 per month w.e.f.01.01.2016 shall be given to those Judicial Officers who own a four-wheeler vehicle in their name or in the name of their spouse, so as to cover the cost of maintenance and driver's salary and this amount shall be increased to Rs.13,500 from 01.01.2021.

(c) In addition to the transport allowance, the cost of 100 litres of petrol/diesel in cities and 75 litres of petrol/diesel in other areas will be reimbursed. The above reimbursement of the cost of petrol/diesel will be done on the basis of Self-Certification.

(d) Those Judicial Officers who do not have their own four-wheeler vehicle and are not availing the pool car facility shall also be entitled to receive transport allowance as cited above, but they will not be eligible for Fuel Allowance.

(e) The above transport allowance and fuel allowance will not be payable to the Judicial Officers for the period during which they have used or are using the official vehicle.

(f) After the recommendations of FNJPC, the following judicial functionaries were eligible for official vehicles, namely, Principal District Judge, Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate, Principal Judge of City Civil Court and Principal Judge of Small Causes Court. In addition to these functionaries, three more judicial functionaries would be eligible for official vehicles, namely, Director of the Judicial Academy/Judicial Training Institute, Principal Judge of the Family Courts and Secretary of the District Legal Services Authority. The Hon'ble High Courts will have the right to prune down the list of above officers depending upon the financial capacity of the State.

(g) The quantum of Petrol/Diesel for official cars for official purposes would be allowed to the actual consumption as certified by the concerned official and supported by a logbook. Use of official cars for private purposes may be permitted to the extent of 300 kms per month.

(h) Use of official vehicle for private purposes will be calculated on half yearly basis.

(i) Soft loan facilities to the extent of Rs Ten Lakhs at nominal interest for the purchase of car shall be extended to the Judicial Officers. The rate of interest and the conditions of repayment of loan will be prescribed by the Department of Finance, in consultation with the Hon'ble High Court. Priority will be given to the loan sanctioning procedure.

6. DEARNESS ALLOWANCE

Vide OM dated 07.07.2023 issued by the Government based on the recommendations of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC), Dearness Allowance has already been implemented and as per the provisions mentioned therein, Dearness allowance shall be payable/permissible to Retired Judicial Officers and Family Pensioners as per the rates prescribed by the State/Central Government, from time to time.

7. EARNED LEAVE ENCASHMENT

(A) Maximum limit of leave encashment at the time of retirement shall be 300 days.

(B) A Judicial Officer shall be entitled to leave encashment:-

(a) Encashment of 10 days Earned Leave shall be allowed while availing travel concession (LTC). Benefit of maximum 60 days (10 days at a time and up to six occasions) during the entire career shall be allowed.

(b) Encashment of 30 days Earned Leave in a block of two years will be allowed.

(c) The benefits provided to Judicial Officers under (a) and (b) above shall be in addition to the benefit of encashment of 300 days Earned Leave at the time of retirement.

(C) Those Judicial Officers, who have been given encashment of less days than the 300 days allowed at the time of retirement due to deduction of the days of leave encashment mentioned under (a) and (b) above, shall be paid the differential amount within a period of three months from the date of issue of this Government Order.

8. ELECTRICITY AND WATER CHARGES

(a) 50% of the amount of payment towards electricity and water charges shall be reimbursed to the Judicial Officers, under the following limits:

Designation	Electricity Units	Quantity of Water
District Judges (All levels)	8000 units per annum	420 Kls per annum
Civil Judges (Jr & Sr Divisions)	6000 units per annum	336 Kls per annum

(b) Reimbursement of electricity and water bills will be done on production of the receipt of payment of bill, on quarterly basis.

(c) This allowance will be permissible at increased rates w.e.f.01.01.2020.

9. HIGHER QUALIFICATION ALLOWANCE

(a) The Judicial Service Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e. post-graduation in Law and one more advance increment on acquiring Doctorate in Law.

(b) The advance increments once granted for postgraduation degree or Doctorate in Law shall not be granted again if, in future, postgraduate degree or Doctorate is acquired in any other subject.

(c) The advance increments shall be available to those officers who have acquired the postgraduation degree or Doctorate either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.

(d) The advance increment shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer acquired post-graduation degree or Doctorate before recruitment and from the date of acquiring the post-graduation degree or Doctorate, if the post-graduation degree or Doctorate is acquired after joining service.

(e) The advance increments shall be available to the Judicial Officers if the higher qualification has been for acquired through regular studies (full time and part time) or through distant learning programmes.

(f) The benefit of advance increments shall also be available at ACP Stage (ACP I or II). The benefit of advance increments shall also be available when promoted from Civil Judge (Jr Division) to Civil Judge (Sr Division) and from Civil Judge (Sr Division) to District Judge Cadre.

(g) The benefit of advance increments shall be available in the District Judge cadre on upgradation from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Time Scale).

(h) The advance increments for all practical purposes shall be part of the salary and Dearness Allowance shall be available on the same.

10. HILL AREA/TOUGH LOCATION ALLOWANCE

(a) Hill Area/Tough Location Allowance @Rs.5000/- per month shall be allowed to the Judicial Officers posted in hill areas/tough locations.

(b) This allowance shall be payable w.e.f. 01.01.2016.

(on specification of places which can be classified as hill areas/tough locations, by the Hon'ble High Court)

11. HOME ORDERLY/ DOMESTIC HELP ALLOWANCE

(a) The Home-cum-office orderly allowance shall be available to the serving Judicial officers at the following rates:-

District Judges (all levels) – Minimum monthly wages prescribed for one unskilled worker or Rs.10,000/- per month, whichever is higher.

Civil Judges (Jr & Sr Divisions) – 60% of the minimum monthly wages prescribed for one unskilled worker or Rs.7,500/- per month, whichever is higher.

(b) The home orderly/domestic help allowance at the aforesaid rates shall be payable to the serving Judicial Officers w.e.f. 01.01.2020.

(c) The payment of home orderly allowance shall not result in discontinuance of practice, if any, of deputing the Office Peons/Attenders or such other Group "D" employees during nights at their residences.

(d) The Office Peon/Attender or such other Group "D" employee shall be deputed for night duty at the residence of Judicial Officer living in the areas generally considered to be disturbed or security risk areas. In the absence of Group "D" employee, outsourced security guards will be deployed in such areas.

(e) Such personnel can also be deputed to the residence of Principal District Judge or officer of equivalent rank having administrative responsibilities.

(f) The deployment of Peons/Attenders for such residential duties shall be subject to the availability of Group D/Class IV personnel so that there is no adverse effect on Court related duties.

(g) Domestic Help Allowance shall be available to the pensioners/family pensioners at the following rates, w.e.f.01.01.2016.

Pensioner	:	Rs.9000/- per month
Family Pensioner	:	Rs.7500/- per month

(h) For pensioners/family pensioners, this allowance shall be increased by 30% on completion of five years from 01.01.2016 i.e., w.e.f.01.01.2021.

(i) The aforesaid allowance shall be available based on the self-certification of the Judicial Officer/Pensioner/Family Pensioner.

12. HOUSE RENT ALLOWANCE & RESIDENTIAL QUARTER

(A) RESIDENTIAL QUARTER

The Judicial Officer shall be provided with accommodation or requisitioned private accommodation within one month of assuming charge of the post. If the Judicial Officer is not provided with government accommodation or requisitioned private accommodation within one month, then the Judicial Officer may secure private accommodation and should be paid rent as per the following terms:-

a) If the rent of private accommodation is within the admissible house rent allowance mentioned in para 12 (B), no fixation of rent is required, but the concerned Judicial Officer has to certify the actual rent being paid.

b) If the rent of private accommodation is more than the permissible house rent allowance, the rent shall be assessed by the Principal District Judge with the assistance of PWD Officials.

c) If the difference between permissible house rent allowance and the rent assessed is more than 15% and in case consent is not given by the concerned officer for the payment of differential amount, the Principal District Judge may sanction the payment of the said amount with the approval of High Court. If the difference is less than 15%, approval of High Court is not required.

d) The minimum plinth area for the residential accommodation shall be 2500 sq. ft. for District Judge (all levels) and 2000 sq. ft. for Civil Judge (Jr & Sr Divisions). However, The High Court administration have the discretion to sanction the design with higher plinth area.

(B) HOUSE RENT ALLOWANCE

(a) Judicial Service Officers who have been allotted official quarters for residence shall not be entitled to House Rent Allowance.

(b) Judicial officers residing in their own houses including the house of a parent or spouse, with the permission of High Court, shall also be entitled to the House Rent Allowance permitted with effect from 01/01/2016. Those Judicial Officers, already residing in hired accommodation shall be entitled to the House Rent Allowance permitted with effect from 01/01/2020, subject to the actual rent paid within the said ceiling.

(c) Office of the District Judge or equivalent shall pay rent directly to the landlord and in such cases the officer will not be eligible to draw House Rent Allowance.

(d) The SNJPC rates of House Rent Allowance shall be applicable to all Judicial Officers as per Notification dated 07.07.2017 which was issued by the Central Government after the Seventh Central Pay Commission (CPC):-

Classification of Cities	Rates of HRA/pm as % of basic pay
X	24%
Y	16%
Z	8%

However, the minimum rates prescribed are Rs.5400/-, Rs.3600/- and Rs.1800/- respectively.

(e) The rates of House Rent Allowance will be changed in accordance with the change in Dearness Allowance, as below: -

Classification of cities	Rates of HRA p.m. as % of Basic Pay	When DA increase crosses
X	27% 30%	25% 50%
Y	18% 20%	25% 50%
Z	9% 10%	25% 50%

Z category is not classified at present. The High Court is at liberty to upgrade and add the cities in different classes.

(C) FURNITURE AND AIR CONDITIONER ALLOWANCE

(a) Furniture grant of Rs 1.25 lakhs every five years shall be provided to the Judicial Officers subject to production of proof of purchase/receipt by the Judicial Officer. Household electrical appliances can also be purchased by availing of the said grant. The officers having not less than two years of service shall also be eligible for this allowance. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.

(b) Apart from the furniture grant, one air conditioner shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years.

(c) The aforesaid furniture and air conditioner allowance shall be allowed w.e.f.01.01.2016.

(d) The standard, capacity etc. of the Air Conditioner will be determined by the Hon'ble High Court.

(D) GOVERNMENT QUARTER - MAINTENANCE

For the proper maintenance of the residential quarters of Judicial Officers and to secure seamless services of electricians, plumbers, carpenters, sanitary workers and masons, an amount of Rs Ten Lakhs will be made available to each District Judge on the basis of a proposal sent by the Registry of the High Court. The Department of Justice of the State Government will sanction the amount within two months from the date of receipt of proposal in this regard.

13. LEAVE TRAVEL CONCESSION(LTC)/HOME TRAVEL CONCESSION(HTC)

(a) Encashment of 10 days earned leave (subject to the maximum of 60 days) while availing LTC (not for HTC) shall be available. The same will be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years.

(b) The Judicial officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 03 years.

(c) As far as newly recruited Judicial Officers are concerned, the HTC shall be allowed 2 times in the first block of three years. However, the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation (Declaration of completion of probation will not be required).

(d) All Judicial Officers shall be allowed to travel by air and reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines or from the agents authorised by the State/Central Government, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC. The authorised agents may be added or deleted by the State/Central Government.

(e) All other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the respective Rules/Orders of the State Government.

(f) The Judicial Officers shall be allowed to carry forward LTC anywhere in India beyond retirement for a period of one year.

(g) The LTC/HTC facility shall not be available to the retired Judicial Officers.

(h) The Judicial Officers shall not be required to avail of Earned Leave only, for LTC/HTC purpose and they may be permitted to avail Casual Leave as a prefix and suffix to the extent of 2 days.

14. MEDICAL ALLOWANCE/MEDICAL FACILITIES: -

FIXED MEDICAL ALLOWANCE

(a) Fixed Medical Allowance shall be payable at the rate of Rs.3000/- per month to the serving Judicial Service Officers with effect from 01.01.2016.

(b) Fixed Medical Allowance shall be payable at the rate of Rs.4000/- per month to the pensioners/family pensioners with effect from 01/01/2016.

(c) The spouse and other dependents of Judicial Officers drawing family pension shall also be eligible for medical facilities/reimbursement at par with the pensioners of the judiciary.

(d) Reference from the Medical Officer of a Government hospital shall not be required. Straightaway, the Judicial Officers including pensioners/family pensioners shall be entitled to have consultations/treatment in the Government notified/empanelled private hospitals/ Pathological Labs and seek reimbursement by submitting the bills as per the usual procedure.

(e) The District Judges or Registrar General of High Court [in respect of District Judge] shall be empowered to address credit letters to the concerned hospitals where the Judicial Officer or Pensioner/Family Pensioner has been or to be admitted as inpatient.

(f) The expenditure incurred towards inpatient treatment or for serious ailments requiring more or less continuous treatment shall be sanctioned by the District Judges or other authorized Officer of that rank or the Registrar General of the High Courts.

(g) In the case of emergency, the Judicial Officer, serving & retired as well as the family pensioner can take treatment in any nearest private hospital and seek reimbursement as per the usual procedure by submitting bills. If necessary, Credit letter shall be issued for this purpose.

(h) On submission of the estimate given by the recognized/empanelled hospital, 80% shall be sanctioned as advance, subject to preliminary scrutiny by the District Judge or a District Judge of equivalent rank authorized by the Registrar General of the High Court. The balance shall be reimbursed on certification by the designated Civil Surgeon or Chief Medical Superintendent or Chief Medical Officer. If the Government approved rates are not available for any particular item, the certifying officer shall examine the rates generally charged in the hospitals concerned and scrutinise the same before sanctioning the payment, the extent of disallowance shall be minimal and the reasons for disallowance shall be specified by the certifying authority. The bills sent by the District Judge for scrutiny of the designated Civil Surgeon/Chief Medical Superintendent or Chief Medical Officer shall be cleared within a maximum period of one month from the date of receipt.

(i) The retired Judicial Officers and the family pensioners who have settled down in another State shall have the facility to claim medical reimbursement/ advance from the State from which s(he) is drawing pension/family pension.

(j) The cost of treatment including room charges/tests undergone in any Government/Government notified/recognized hospitals/pathological labs in an emergency or otherwise shall be reimbursed to the serving officers on tour (official or private purpose) to another State or to the retired officers settled in another State after retirement even though it is not recognized hospital/lab in the State in which the officer is serving or had served.

(k) The Registrar General of the High Court shall examine whether the notified/empanelled hospitals sufficiently cater to the needs of the Judicial Officers including the pensioners/family pensioners and send proposals to the Government for notifying additional hospitals/pathological Labs to the extent it is considered necessary.

(l) To avoid delays in processing and sanctioning the bills for want of funds, the Registrar General of High court shall take prompt action in addressing the Law Department of the State Government for releasing additional funds and the Finance Department shall take immediate action by way of making available the additional funds to the High Court on this account.

(m) In respect of other medical reliefs approved by the Hon'ble Supreme Court, separate orders will be issued on the basis of the recommendations of CSCDJ Committee.

15. NEWSPAPER AND MAGAZINE ALLOWANCE

(a) Reimbursement for newspaper and magazines shall be Rs.1000/- per month for District Judges, all levels (two newspapers and two magazines) and Rs.700/- per month for Civil Judges, Jr & Sr Division (two newspapers and one magazine).

(b) This reimbursement shall be on half-yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self-certification.

(c) The allowance at the above mentioned rates shall be payable from 01/01/2020.

16. ROBE ALLOWANCE

Robe Allowance of Rs 12,000/- will be payable to the Judicial Officers once in three years with effect from 01/01/2016.

17. SPECIAL PAY FOR ADMINISTRATIVE WORK

Special pay shall be payable to the Judicial Officers doing administrative work:-

(a) All Judicial Officers of the rank of District Judge namely, District and Sessions Judge, Principal Judge of Family Court, Presiding Officer of MACT, Presiding Officer of Commercial Court, Presiding Officer of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority and Special Officer (Vigilance), Registrar General, Senior Registrar posted in the Registry of High Court, all Judicial Officers of the rank of District Judge posted on deputation within and outside the state including other Judicial Officers of the rank of District Judge : Rs.7000/- per month.

(b) Other Additional District Judges including I Additional District Judge who have been entrusted with administrative work and who have to generally spend time beyond court working hours: Rs.3500/- per month.

(c) Additional District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities.

(d) CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers: Rs.2000/- per month.

(e) The aforesaid special pay shall be payable w.e.f.01/01/2019.

18. SUMPTUARY ALLOWANCE

(a) Sumptuary allowance shall be available to the Judicial Officers at the following rate: -

District Judges (All levels)	-	Rs.7800/- per month
Civil Judges (Sr Division)	-	Rs.5800/- per month
Civil Judges (Jr Division)	-	Rs.3800/- per month

(b) The aforesaid Sumptuary Allowance shall be payable w.e.f. 01.01.2016.

(c) The following categories of Judicial Officers shall get Rs.1000/- (Rupees One Thousand only) more by virtue of their status or the additional responsibilities handled by them.

(1) District Judge in-charge of administration in the Districts/Cities.
(2) District Judges in Selection Grade and Super Timescale.
(3) Director of Judicial Academy/Judicial Training Institute/Member Secretary, State Legal Services Authority.
(4) Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate.

(d) No sumptuary allowance shall be payable to retired Judicial Officers.

19. TELEPHONE FACILITIES

The Judicial Service Officers shall be provided with the following telephone facilities: -

RESIDENTIAL TELEPHONE (LANDLINE)

(a) The landline telephone and broadband facility (by the same or different service providers) shall be provided at the residence of the Judicial Officers with the permitted user as follows:

District Judges (all levels) : Rs.1500/- per month
Civil Judges (Jr & Sr Divisions) : Rs.1000/- per month
[inclusive of rent, calls (local and STD both) and internet use].

(b) At places where broadband facility is not available, the permissible user shall be:

District Judges (all levels) : Rs.1000/- per month
Civil Judges (Jr & Sr Divisions) : Rs.750/- per month
[inclusive of rent and calls (local and STD both)]

MOBILE PHONE

(a) The provision of mobile phone (handset) with internet shall be as follows:

District Judge (all levels) : Rs.30,000/-
Civil Judges (Jr. & Sr. Divisions) : Rs.20,000/-

And the following amount shall be permissible to the user inclusive of internet data package:

District Judges (all levels) : Rs.2000/- per month
Civil Judges (Jr. & Sr. Divisions) : Rs.1500/- per month

(b) At the request of the Judicial Officers, the mobile phone handset shall be replaced once in three years.

(c) The Judicial Officers shall be given option to retain the old mobile phone handset at a price to be determined as per the guidelines prescribed by the Registry of High Court.

OFFICE TELEPHONE:

Regarding telephone connection to the office, the present arrangement shall continue.

20. TRANSFER GRANT

(a) On transfer, the composite transfer grant shall be equivalent to one month's basic pay.

(b) If the transfer is to a place at a distance of 20 kilometres or less or within the same city (if it involves actual change of residence), the transfer grant shall be 1/3rd of the basic pay.

(c) For the transportation of personal effects, O.M. No.19030/2017-E.IV dated 13.07.2017 issued by the Department of Finance, Government of India shall be applicable.

(d) In case of transportation by road, the admissible amount shall be Rs.50/- per k.m. inclusive of labour charges for loading and unloading or the actual amount of expenditure, whichever is lower. The said amount shall be raised by 25% when the DA increases by 50%.

(e) The above facility/arrangement shall come into effect from 01.01.2016.

(f) The Officers who have undergone transfer(s) after 01.01.2016 and their claims for transfer grant paid as per pre-revised pay scales, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay w.e.f. 01.01.2016.

2. Sanction of Controlling Officer and fulfilment of prescribed formalities shall be ensured, as the case may be, for utilising the aforesaid allowances/facilities for the period prior to issue of this Government Order and the payment already made with regard to these allowances/facilities under the orders of the Government shall be adjusted as required. Necessary action shall be taken at competent/authorised level for the calculation of arrear amount and lumpsum cash payment to Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Family Pensioners before 29.02.2024.

3. The aforesaid allowances and facilities shall be applicable on the Judicial Officers serving on deputation in the state and the orders, whatever, which have already been issued by the Government regarding the aforesaid allowances/facilities, shall be deemed revised to this extent.

4. These orders are being issued in accordance with the concurrence of the Finance Department vide its DO Letter No. E-12-72/X-2024, dated 28th February 2024.

Yours faithfully,
Sd/-
(Dr Devesh Chaturvedi)
Addl Chief Secretary

No. 140(1)/II-4-2024, even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action-

1. Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad
2. Accountant General, Uttar Pradesh, Prayagraj
3. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh
4. Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor, Uttar Pradesh

5. Additional Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh
6. Principal Secretary, Law&Legal Consultant, Government of Uttar Pradesh
7. All District Judges (through the Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad
8. Director, Treasury/Pension Directorate, Uttar Pradesh, Lucknow
9. All Sr Treasury Officers/Treasury Officers, Uttar Pradesh
10. Addl Director, Treasury Directorate, Kachari Road, Prayagraj
11. Finance (Expenditure Control) Section 12, Finance (Pay Commission) Section-1/2, Finance (General) Section-2, Govt of UP.
12. IRLA Cheque Section/IRLA Cheque (Pay Slip-1,2) Cell, Govt of UP
13. Shri Sanjay Kumar Tyagi, Advocate on Record, Hon'ble High Court, New Delhi
14. Guard File

By orders,
Sd/-
(Vijai Kumar Sankhwar)
Special Secretary